झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0- 839 वर्ष 2017

नारायण सिंह, पे0 स्वर्गीय उदय नाथ सिंह, निवासी-कर्मा, डाकघर बोधरा, थाना-तोरपा, जिला-खूंटी

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. निदेशक, पंचायत राज (एन0आर0ई0पी0) विशेष विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, एच0ई0सी0 धुर्वा, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-रांची के माध्यम से झारखंड राज्य।

2. उपायुक्त, रांची, डाकघर-जी0पी0ओ0, थाना-कोतवाली, जिला-रांची।

3. जिला पंचायत राज अधिकारी, रांची, डाकघर-जी0पी0ओ0, थाना-कोतवाली, जिला-रांची।

4. जिला पंचायत राज अधिकारी, खूंटी, डाकघर एवं थाना।

…..उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री अनिल कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री बिनोद सिंह, एस0सी0 (एल एंड सी)।

04/19.06.2017 याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा, राज्य के लिए विद्वान एस0सी0 (एल एंड सी) श्री बिनोद सिंह को सुना।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता दलपति के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होनें यह भी कहा कि आज की तारीख में भी वह काम कर रहे हैं। उन्होनें

कहा कि वर्ष 1999 में, उनकी सेवा के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आज तक सक्षम प्राधिकारी अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 या 4 जो भी हो, द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होनें कहा कि चूंकि अनुमोदन के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, हालांकि वह आज तक काम कर रहे हैं। वह अंत में प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं0 3 और 4 के समक्ष कई अभ्यावेदन लिया है, लेकिन उक्त अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

3. श्री बिनोद सिंह, राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 या 4 के समक्ष, जो भी हो, एक नया अभ्यावेदन दायर करता है, तो उसके अभ्यावेदन पर एक उचित आदेश पारित किया जाएगा।

4. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता को आज से 3 (तीन) सप्ताह की अवधि के भीतर, प्रतिवादी संख्या 3 या 4, जैसा भी मामला हो, के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश देता हूँ। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 या 4, जैसा भी मामला हो, याचिकाकर्ता के दावे की जांच करेगा और इसके बाद 6 (छह) सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त अभ्यावेदन पर एक उचित और युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा। यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उसके बाद 3 (तीन) सप्ताह की अवधि के भीतर सभी परिणामी कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. उपरोक्त अवलोकन और दिशा के साथ, इस आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)